MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप–5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017–18 जयपुर, दि. 28 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत्।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017 तथा वीसी दिनांक 18.12.2017, 15.01.2018 एवं 09.02.2018

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक--एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से स्थापित करने बाबत् निर्देशित किया गया था। लेकिन अधिकांश जिला/ पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना अभी तक प्रकियाधीन है। उक्त संबध में माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि एवं मुख्य सचिव, महोदय द्वारा दि 23.02.2018 को विभागीय समीक्षा बैठक में "कार्यो के गुणवत्ता परीक्षण कराने के लिए सभी जिले / पंचायत समितियोमें 31 मार्च 2018 तक विभागीय गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओ (Quality Testing Lab) स्थापित कराने तथा प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः विभागीय निर्देशों की पालना में शिथिलता के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित होने तक महात्मा गांधी नरेगा योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद से एक "चल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (Mobile Quality Testing Lab)" की दिनांक 06.03.2018 तक व्यवस्था की जावें, जिसमें किराये के वाहन में कार्य का परीक्षण हेतु नमूना लेने आवश्यक उपकरण (कोरकटर सैम्पलर, कॉक्रिट /मोर्टार सैम्पलर व सैम्पल लेने हेतु बैग आदि) उपलब्ध कराये जावें।

अतः उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रशासनिक मद से एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में प्रयोगशाला स्थापना नही होने पर निर्देशानुसार बाध्य होकर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

28/2/18

(रोहित कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थन।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
9. निजी सचिव, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू–सरक्षण विभाग।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि./ईजीएस) जिला परिषद् समस्त।
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला संबंधित।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

28/2

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)